मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ

पीठासीन अधिकारीः– श्री अजित सिंह राठौड (आर0ए0एस0)

उनवान

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति सिसोदिया नि. 1 ए 15 हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, भीलवाडा तह. एवं जिला भीलवाडा।
2. धीरज पिता श्री श्याम सुन्दर राजपूत नि0 रमेश चन्द्र व्यास कॉलोनी भीलवाडा एवं जिला भीलवाडा।
3. भानुप्रताप पिता श्री श्याम सुन्दर नि0 रमेश चन्द्र व्यास कॉलोनी भीलवाडा एवं जिला भीलवाडा।

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमती सजनी देवी पत्नी श्री राधाकिशन गुर्जर नि0 गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

मुकदमा नम्बर :–31/2020

उपस्थित अधिवक्ताः– वादी अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी उप0
प्रतिवादीगण अनु0
पैराकार सरकार उप0

वादी की और से अधिवक्ता उपस्थित। उक्त वाद को अन्तिम डिक्री हेतू विभाजन प्रस्ताव के रूप में पूर्व में जारी प्रारम्भिक डिकी पर तैयार किये गये प्रस्ताव पर वादी अधिकवक्ता द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की है। जिसका प्रस्ताव तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। माफिक विभाजन प्रस्ताव ग्राम गुवारडी पटवार हल्का स्वरूपगंज भू.अ.नि. खैराबाद तहसील हमीरगढ का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

(1) श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सज्जन सिंह जाति सिसोदिया नि. 1 ए 15 हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, भीलवाडा तह. एवं जिला भीलवाडा खातेदार

आ.ना.	हैक्टेयर
690	0.3035
693	0.3035
694	0.1138
1021	0.1222
कुल किता 04	रकबा 0.8430

(2) श्रीमती सजनी देवी पत्नी श्री राधाकिशन गुर्जर नि0 गुवारडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) खातेदार

आ.ना.	हैक्टेयर
1020	0.3667
1021/1	0.0548
कुल किता 02	रकबा 0.4215 है0

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

उक्त डिकी का प्रस्तावित राजस्व नक्शा पार्ट रहेगा। तहसीलदार हमीरगढ उक्त विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद व राजस्व नक्शे में पालना हेतु एक प्रति प्रेषित की जावे। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 20.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ